F.No.01-05004/2/2019-NCW(A)
National Commission for Women
Plot No. 21, Jasola Institutional Area
New Delhi – 110 025.

18.12.2019

Subject: Internship with the National Commission for Women.

राष्ट्रीय महिला आयोग को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का अधिनियम सं.20) के निबंधनों के अनुसार एक कानूनी निकाय के रूप में, महिलाओं को उपलब्ध संवैधानिक और विधिक रक्षापायों की ओर आगे समीक्षा करने, ऐसे उद्देश्यों को प्राप्त करने में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों की सिफारिश करने, शिकायतों के अनुतोष को सुकर बनाने और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत विषयों पर सरकार को सलाह देने के लिए, स्थापित किया गया है। आयोग, कार्यशालाएं/परामर्श भी आयोजित करता है, विशेषज्ञ समितियों का गठन करता है, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अध्ययन संचालित/सिफारिश करता है, जेंडर जागरूकता के लिए कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करता है और मादा भ्रूण हत्या,महिलाओं के विरूद्ध समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार अभियान चलाता है।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग ने, महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर प्रभावी रूप से व्यावहारिक ज्ञान/जानकारी का प्रसार और प्रशिक्षित जनशक्ति का समूह तैयार करने की दृष्टि से राष्ट्रीय महिला आयोग में, तुरंत प्रभाव से प्रशिक्षु (इंटर्न) नियुक्त करने का विनिश्चय किया है। तद्नुसार, यह विनिश्चय किया गया है कि कलेंडर वर्ष 2019 के दौरान निम्नलिखित वर्गों के लिए इंटर्नशिप का प्रस्ताव किया जाता है:

योजना क: विधि के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए दो से तीन सप्ताह की अवधि के लिए अवैतनिक इंटर्नशिप।

योजना ख: नीचे पैरा 3 में विनिर्दिष्ट विद्यार्थियों के वर्गों के लिए 60 दिन या इससे अधिक की अवधि के लिए मानदेय के साथ इंटर्नशिप।

पात्रता मापदंड: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से आवेदन पत्र स्वीकार्य होंगे।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख: 31 दिसंबर, 2018

The National Commission for Women has been set up as a statutory body in terms of the National Commission for Women Act, 1990 (Act No. 20 of 1990) to further review the Constitutional and Legal safeguards available to women, recommend remedial measures to remove impediments in realizing such goals, facilitate redressal of grievances and advise the Government on all policy matters affecting women. The Commission also organizes workshops/consultations, constitutes expert committees, undertakes studies/make recommendations for economic empowerment of women, conducts workshops/seminars for gender awareness and takes up publicity campaign against female foeticide, violence against women, etc. in order to generate awareness in the society against such social evils.

2. The National Commission for Women has, with a view to effectively disseminate knowledge / information on women related issues and build a pool of trained manpower, decided to engage interns in the National Commission for Women with immediate effect. Accordingly, it has been decided that the following categories of internship during the calendar year 2019 will be offered:

Scheme A: Unpaid Internship for a period of two to three weeks for Final Year of Law students.

Scheme B: Internship with honorarium for 60 days or more for categories of students specified in Paragraph 3 below.

Eligibility criteria: Application will be acceptable from the students of the recognised University.

Last date of submission of Application: 31st December, 2018.

3. मानदेय के साथ, विभिन्न वर्गों के लिए इंटर्नशिप के निबंधन और शर्तें नीचे दी गई है:

क्रम सं.	अर्हता	कार्य के क्षेत्र	मानदेय
1.	3 वर्ष की एल.एल.बी. डिग्री के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी /बी.ए. एल.एल.बी./ बी.बी.ए. एल.एल.बी./ बी.एस.सी. एल.एल.बी. पाठ्यक्रमों के तीसरे/ चौथे वर्ष के विद्यार्थी।	(i) शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ (ii) अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ	15,000 रू प्रतिमास
2.	(i) तीन वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के दूसरे/तीसरे वर्ष के विद्यार्थी (ii) बी.बी.ए. एल.एल.बी./बी.ए. एल.एल.बी. /बी.एस. एल.एल.बी. के पांचवें वर्ष के विद्यार्थी	(i) शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ (ii) अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ	18,000 रू प्रतिमास
3.	एल.एल.एम./एम.फिल/पी.एच.डी. / पी.एच.डी. विद्वान विद्यार्थी	(i) शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ (ii) अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ	20,000 रू प्रतिमास

4. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विद्यार्थी इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के लिए समर्थ हो सके इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग के पोर्टल पर अर्थात् ncw.nic.in पर आवेदनपत्र प्रोफार्मा उपलब्ध कराया गया है।

5. ऐसे विद्यार्थी जो रा.म.आ. में इंटर्नशिप के इच्छुक हैं वे अपने आवेदनपत्र विहित प्रोफार्मा में, यह उपदर्शित करते हुए कि वे आयोग में किस तारीख से इंटर्नशिप करना चाहते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। **संस्थान के मुखिया/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का सिफारिश पत्र भी अपलोड किया जाएगा।** यह प्रयास किया जाएगा कि विद्यार्थियों द्वारा उपदर्शित तारीख के आस-पास से ही इंटर्नशिप आरंभ की जाए और यदि ऐसा करना संभव नहीं है तब उनको दूसरी तारीख का प्रस्ताव किया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षु द्वारा आयोग में इंटर्नशिप के प्रत्येक दिवस पर किए गए कार्य की एक डायरी को बनाए रखना आवश्यक होगा। सभी प्रशिक्षुओं से यह अपेक्षित होगा कि वे, उनके ज्ञान में आई कोई जानकारी/दस्तावेजों की

3. The terms and conditions of internship for different categories, with honorarium, will be as below:

Sl No.	Qualification	Area of Work	Honorium
1.	(i) First Year of 3-Year LLB Degree (iv) 3rd/and 4th year of BA LLB/BBA LLB/ BSc LLB Courses.	(i) Complaint & Investigation (ii) NRI Cell	Rs.15,000/- PMM
2.	(i) Second/Third year students of LLB 3 year Course. (ii) Fifth Year students of BBA LLB/BA LLB/ BSc LLB;	(i) Complaint & Investigation (ii) NRI Cell	Rs.18,000/- PMM
3.	(i) Students of LLM/ M.Phil/Ph.D	(i) Complaint & Investigation (ii) NRI Cell (iii) Policy Monitoring and Research (PMRC)	Rs.20,000/- PMM

4. With a view to enable students to apply for internship, an on-line application proforma has been made available on the portal of National Commission for Women viz. ncw.nic.in

5. Students desirous of interning with the NCW may upload their applications in the prescribed proforma indicating dates when they would like to intern with the Commission. **A letter of recommendation from the head of the institution/authorised signatory may also be uploaded.** Efforts will be made to accommodate students closer to the dates indicated by them and, in case, it is not possible to do so, alternative dates will be offered. Each intern will need to maintain a diary of the work done by them on each day of internship in the Commission. All interns will also be required to sign a declaration regarding the confidentiality of information/documents that will come to their knowledge.

बाबत गोपनीयता बनाए रखने के लिए, एक घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे।

6. निम्नलिखित आधार पर प्रशिक्षुओं का चयन किया जाएगा:

योजना क: पात्रता पूरी करने की अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए पहले आओं पहले पाओं के आधार पर।

योजना ख: 50 प्रतिशत पिछले दो वर्ष के दौरान अभिप्राप्त प्रतिशतता और 50 प्रतिशत प्रोफार्मा के भागरूप अपलोड किया गया **'प्रयोजन का विवरण'** की गुणवत्ता के आधार पर अधिमानता दी जाएगी।

7. राष्ट्रीय महिला आयोग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन दोनों योजनाओं के अधीन, किसी भी समय, प्रशिक्षु नियुक्त करने की अधिकतम संख्या का विनिश्चय किया जाएगा।

6. The interns will be selected on the following basis:

Scheme A: First come first serve basis subject to fulfilling the eligibility requirements

Scheme B: 50% weightage for the percentage obtained during last two years and 50% weightage for the quality of the **'Statement of Purpose'** uploaded as part of the proforma.

7. The maximum number of interns to be engaged at any point of time, under both schemes will be decided by the Competent Authority, National Commission for Women.

Important dates : Internship Duration 01/01/2019 to 31/12/2019
Start Date for Apply - 18/12/2018
Last Date for Apply - 31/12/2018